

13.4.18

पत्रावली काज प्रस्तुत हुई। जैरसायल/ अधिवक्ता दायरपस्थित। तीतकाय काज लगाए गए लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। कतिबुमी के 25/2/18 को नोटिस तामिल हुआ उसके पश्चात अनेक बार जवाब/ लाह्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया लेकिन कतिबुमी अथवा उनके अधिवक्ता दायर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके स्पष्ट है कि जैरसायल इस संदर्भ में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं एवं किसी प्रकार का लाह्य (त्राय कोत्र) भी नहीं है अतः 1. जैर सायलान को कतिबुमी घोषित किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत हो। निर्णय खुले न्यायक्रिय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुक्र होकर नम्बर 8 कम हो।

१

13.04.18

नाथ तहसीलदार सिपाधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 2 पर क्र.सं. 1 पर जुमाना/फसल निसामी राशि रु. 307 + 110 की मांग दर्ज की गई।

2250/-

13.7.18

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिपाधरी